राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांकःप.1(6)गृह–7/2017 जयपुर, दिनांकः 9 MAY 2022

: आज्ञा :

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान गृह रक्षा सेवा के लिए चयनित निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान गृह रक्षा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिए वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/ नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग
1.	01	501706	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरदान राम	02.04.1979	BC,EX
2.	03	502166	श्री अमन रूस्तगी पुत्र श्री विद्यासागर रूस्तगी	06.04.1981	GE, EX
3.	04	502273	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर	15.08.1983	GE, EX, SP
4.	06	501634	श्री डेसमण्ड फेडरिक हाईड पुत्र श्री जूड हाईड	26.05.1980	GE, EX
5.	07	502104	श्री भानू शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा	28.07.1978	GE, EX
6.	08	502015	श्री चाणक्य जायसवाल पुत्र श्री घनश्याम जायसवाल	22.01.1984	BC, EX
7.	09	502240	सुश्री प्रियंका कड़वासरा पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश कडवासरा	23.01.1987	GE,WE, EX

उक्त अधिकारियों द्वारा परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 14 (GRADE PAY 5400) पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार वेतन देय होगें। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें। यह नियुक्ति निम्न लिखित शर्तो के अधीन की जाती हैः–

1. यह नियुक्ति नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा सेवा नियम 1976 के अन्तर्गत की जा रही है तथा यह नियुक्ति उक्त नियमों में विहित शर्तों के अन्तर्गत व समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के अधिकथित निबंधनों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
2. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
3. संस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
4. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
5. उक्त अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं होने तक नियुक्तियां प्रोविजनल रहेगी।

Scanned with CamScanner

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जावेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित SLP No. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण उप समादेष्टा के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 14 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते देय होगें।
8. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में इनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि इनके विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो इनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
9. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूमपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
11. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी की Self Declaration अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।
13. उक्त अभ्यर्थी महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस विभाग को सूचित करेंगे। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। यदि निश्चित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य औपचारिकता शेष रहती है तो विभाग अपने स्तर पर पूर्ण करवायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

D:\Home G-7 office work\Letter (R).doc

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा को लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करते समय उक्त सभी से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 02 में उल्लेखित 'बन्ध पत्र', बिन्दु संख्या 10 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवज जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने तथा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार की जाकर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा–महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग –उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर "SSO Appointment (Balistics) order May 2022" शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

Scanned with CamScanner